



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिचयित आदेश)

देहरादून, नंगलवार, 23 सितम्बर, 2003 ई०

आश्विन 01, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
मानव संसाधन विकास विभाग
उच्च शिक्षा अनुभाग

संख्या 908/उच्च शिक्षा/2003-3(16)/2003

देहरादून, 23 सितम्बर, 2003

अधिसूचना

विविध

प० आ०-136

इक्फाई (इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल एनेलिस्ट्स ऑफ इण्डिया) विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 16, वर्ष 2003) की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन राज्यपाल महोदय इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से इक्फाई विश्वविद्यालय की स्थापना की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

विश्वविद्यालय का मुख्यालय उत्तरांचल, देहरादून में स्थित होगा।

आज्ञा से,

एम० रामचन्द्रन,
प्रमुख सचिव।

No. 908/ Higher Education/2003-3(16)/2003

Dated Dehradun, September 23, 2003NOTIFICATIONMiscellaneous

The Governor, under Sub-section (2) of Section 4 of The Institute of Chartered Financial Analysts of India (ICFAI) University Act, 2003 (Act no. 16 of 2003), is pleased to accord sanction to the establishment of the ICFAI University with effect from the date of publication of the notification in the official Gazette.

The headquarters of the University shall be at Dehradun, Uttarakhand.

By Order,

M. RAMACHANDRAN,
Principal Secretary.